

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-05/न0वि0 (गठन)-07/2017 6614 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 सह पठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित आदेश का प्रारूप, जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं, उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त प्रारूप पर विचार किया जायगा।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों/सुझाव पर उक्त अधिनियम के धारा-5 की अधीन विचार किया जायेगा।

प्रारूप आदेश

संख्या-05/न0वि0 (गठन)-07/2017 6614 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 की उपधारा (1) (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ समस्तीपुर जिलान्तर्गत सिंधिया के निम्नलिखित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है:-

1. (क) ग्रामों के नाम एवं थाना नं०

(क)	ग्राम का नाम	थाना सं०
	I सिंधिया	127

(ख)

चौहद्दी	ग्राम/थाना नम्बर	
उत्तर	लिलहौल, मोरवाड़ा	121, 126
दक्षिण	सालेपुर	146
पूरब	निरपुर भररिखा, विष्णुपुर डीहा	140,144
पश्चिम	माहें खैरा	125

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, सिंधिया कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद)  
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-05/न0वि0 (गठन)-07/2017 6614 /न0वि0एवं.आ0वि0

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-05/न0वि0 (गठन)-07/2017 6614/न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक- 10/10/17

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/विभागध्याक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/10/2017

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-05/न0वि0 (गठन)-07/2017 6614/न0वि0एवं.आ0वि0

/पटना, दिनांक- 10/10/17

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


9/10/2017

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
अधिसूचना

संख्या-05/न0वि0 (गठन)-07/2017 <sup>6614</sup> अधिसूचना संख्या- दिनांक- /का निम्नलिखित अनुवाद  
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348  
के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
  
(चैतन्य प्रसाद)  
प्रधान सचिव  
नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar  
Urban Development and Housing Department

**Notification**  
No-05/N.V. (Gathan)-07/2017 <sup>6615</sup> In exercise of the powers conferred by section 3 read  
with section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar desires  
to publish the following draft order, which is published for the information of those persons who  
are likely to be affected by it and notice is hereby given that the said draft would be considered  
within a month from the publication of this notification.

Objections/Suggestions received through the concerned District Magistrates/Divisional  
Commissioner during the draft publication will be considered under section-5 of the said Act.

**Draft Order**  
No-05/N.V. (Gathan)-07/2017 <sup>6615</sup> / In exercise of powers conferred by sub section (1)  
(c) of Section-3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11, 2007) the Governor of Bihar  
declares that for the purpose of the said Act, it is necessary to make an administrative provision and  
to enforce the provisions of the said Act in the areas falling in the circle of the following villages of  
the Singhia Block within the District of Samastipur whose boundary are noted below:-

1 (a) Name of villages and Thana Nos

<u>Name of Village</u>	<u>Thana No.</u>
I Singhia	127

(b) Boundary:-

North-	Lillhaul, Morvara	121,126
South-	Saalepur	146
East-	Nirpur Bharariya, Vishnupur Diha	140,144
West-	Mahen Khaira	125

These areas will be called the Nagar Panchayat, Singhia

2. This notification shall come to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

  
(Chaitanya Prasad)  
Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No- 05/N.V. (Gathan)-07/2017 6615 UD&HD Dated:- 10/10/17

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No-05/N.V. (Gathan)-07/2017 6615 UD&HD Dated:- 10/10/17

Copy to All Departments/Departmental Heads/All Divisional Commissioners/All District Magistrates/Accountant General Bihar, Patna/Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer, Samastipur / Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/Principal Private Secretary to Principal Secretary, Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No-05/N.V. (Gathan)-07/2017 6615 UD&HD Dated:- 10/10/17

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna for information and necessary action.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department